

वार्षिक कार्यक्रम 2019-2020

मंत्रालयों/विभागों और उनके संबन्ध/अधीनस्थ कार्यालयों एवं केंद्रीय सरकार के निगमों, उपक्रमों, बैंकों आदि में राजभाषा नीति के कार्यान्वयन हेतु 2019-2020 के लिए निर्धारित लक्ष्य

क्र सं	कार्य विवरण	लक्ष्य
1.	हिंदी में मूल पत्राचार (तार, बेलार, टेलेक्स, फैक्स, आरेख आदि सहित)	“ग” क्षेत्र से “क” क्षेत्र को 55% “ग” क्षेत्र से “ख” क्षेत्र को 55% “ग” क्षेत्र से “ग” क्षेत्र को 85% “ग” क्षेत्र से “क” व “ख” क्षेत्र के राज्य/संघ राज्य क्षेत्र के कार्यालय/व्यक्ति
2.	हिंदी में प्राप्त पत्रों का उत्तर हिंदी में दिया जाना	100%
3.	हिंदी में टिप्पण	30%
4.	हिंदी माध्यम से प्रशिक्षण	30%
5.	हिंदी टंकक और आधुनिकीकरणों की भर्ती	40%
6.	हिंदी में डिक्टेसन / की बोर्ड पर सीधे टंकण	30%
7.	हिंदी प्रशिक्षण (भाषा, टंकण, आधुनिकीकरण)	100%
8.	द्विभाषी प्रशिक्षण सामग्री तैयार करना	100%
9.	जर्नल और मानक संदर्भ ग्रंथों को छोड़ कर, पुस्तकालय के कुल अनुदान में से डिजिटल वस्तुओं अर्थात् हिंदी ई-पुस्तक, सीडी/डीवीडी/पेन ड्राइव तथा अंग्रेजी और क्षेत्रीय भाषाओं में से हिंदी में अनुवाद पर की गयी राशि सहित हिंदी पुस्तकों की खरीद पर खर्च का प्रतिशत	50%
10.	कंप्यूटर सहित सभी प्रकार के इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों की द्विभाषी रूप में खरीद	100%
11.	वेबसाइट	100% (द्विभाषी)
12.	नागरिक चार्टर तथा जन सूचना बोर्डों आदि का प्रदर्शन	100% (द्विभाषी)
13.	(i) मंत्रालयों/ विभागों और कार्यालयों तथा राजभाषा विभाग के अधिकारियों (उ.स./ निदे./सं.स.) द्वारा अपने मुख्यालय से बाहर स्थित कार्यालयों का निरीक्षण	25% (न्यूनतम)
	(ii) मुख्यालय में स्थित अनुभागों का निरीक्षण	25% (न्यूनतम)

	(iii) विदेश में स्थित केंद्रीय सरकार के स्वामित्व एवं नियंत्रण के उपक्रमों/कार्यालयों आदि के संबंधित अधिकारियों तथा राजभाषा विभाग के अधिकारियों द्वारा संयुक्त निरीक्षण	वर्ष में कम से कम एक निरीक्षण
14.	राजभाषा संबंधी बैठकें	
	(i) हिंदी सलाहाकार समिति	वर्ष में 02 बैठकें (न्यूनतम)
	(ii) नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति	वर्ष में 02 बैठकें (प्रति छमाही एक बैठक)
	(iii) राजभाषा कार्यान्वयन समिति	वर्ष में 04 बैठकें (प्रति तिमाही एक बैठक)
15.	कोड, मैनुअल, फार्म, प्रक्रिया साहित्य का हिंदी अनुवाद	100%